

### **Number of Cases of Medical Negligence**

**726 SH. NEERAJ SHARMA, MLA: will the Health Minister be pleased to state:-**

- a) the districtwise number of cases of medical negligence of private and Government Hospitals come into the notice of Government from January, 2015 to 31<sup>st</sup> December,2021 in State; and
- b) the action taken by Government against the defaulting hospitals/individuals?

**Anil Vij, Health Minister**

- a) & b) Sir, a statement is laid on the table of the house.

**Statement referred to in the reply of unstarred Question No. 726**

- a) District wise number of cases of medical negligence of private and Government Hospitals from January'2015 to 31<sup>st</sup> December'2021 in State:

<b>Name of the District</b>	<b>Number of Medical Negligence cases in Private Hospitals</b>	<b>Number of Medical Negligence cases in Government Hospitals</b>
Ambala	0	0
Bhiwani	3	0
Charkhi Dadri	0	0
Faridabad	1	0
Fatehabad	0	0
Gurugram	45	0
Hisar	0	0
Jhajjar	0	0
Jind	1	0
Kaithal	1	0
Karnal	0	0
Kurukshetra	0	0
Mewat	7	0
Narnaul	1	0
Panchkula	1	0
Panipat	1	0
Palwal	0	0
Rewari	2	0
Rohtak	0	0
Sirsa	0	0
Sonepat	5	4
Yamunanagar	0	0
<b>Total</b>	<b>68</b>	<b>4</b>

- b) The action in case of medical negligence does not come under the purview of Health Department. However, in case of negligence by Government doctor, the action is taken by Health Department as per the provisions of Haryana Civil Services (Punishment & Appeal) Rules.



## चिकित्सकीय लापरवाही के मामलों की संख्या

726. श्री नीरज शर्मा, एम.एल.ए.: क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बताएंगे कि:—

(क) राज्य में जनवरी, 2015 से 31 दिसम्बर, 2021 तक सरकार के संज्ञान में आए निजी तथा सरकारी अस्पतालों के चिकित्सकीय लापरवाही के मामलों की जिला-वार संख्या कितनी है; तथा

(ख) चूक करने वाले अस्पतालों/व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

अनिल विज, स्वास्थ्य मन्त्री

(क) तथा (ख) श्रीमान जी, विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

<p align="center"><b>अतारंकित प्रश्न संख्या 726 के संबंध में विवरण</b></p>
--

(क) राज्य में निजी और सरकारी अस्पतालों के जनवरी, 2015 से 31 दिसम्बर 2021 तक चिकित्सकीय लापरवाही के मामलों की जिला-वार संख्या:

जिले का नाम	निजी अस्पतालों के चिकित्सकीय लापरवाही के मामलों की संख्या	सरकारी अस्पतालों के चिकित्सकीय लापरवाही के मामलों की संख्या
अम्बाला	0	0
भिवानी	3	0
चरखी दादरी	0	0
फरीदाबाद	1	0
फतेहाबाद	0	0
गुरुग्राम	45	0
हिसार	0	0
झज्जर	0	0
जीन्द	1	0
कैथल	1	0
करनाल	0	0
कुरुक्षेत्र	0	0
मेवात	7	0
नारनौल	1	0
पंचकूला	1	0
पानीपत	1	0
पलवल	0	0
रेवाड़ी	2	0
रोहतक	0	0
सिरसा	0	0
सोनीपत	5	4
यमुनानगर	0	0
<b>कुल</b>	<b>68</b>	<b>4</b>

(ख) चिकित्सकीय लापरवाही के मामले में कार्यवाही करना स्वास्थ्य विभाग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है हालांकि सरकारी चिकित्सकों द्वारा की गई चिकित्सकीय लापरवाही के खिलाफ कार्यवाही स्वास्थ्य विभाग द्वारा हरियाणा सिविल सेवाएं (दण्ड एवं अपील) नियमों के प्रावधानों के अनुसार की जाती है ।

